N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0180 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/08/2024 20:25 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/08/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/08/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/08/2024 20:25:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** OFFICE JDA JON-9 JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HEMANT OJHA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIV KUMAR OJHA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | MAKAN NUMBER 3614, KESHVRAM JI GALI, NAHARGARH ROAD, CHANDPOL BAZAR, NAHARGARH(JAIPUR CITY (NORTH)), JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | MAKAN NUMBER 3614, KESHVRAM JI GALI, NAHARGARH ROAD, CHANDPOL BAZAR, NAHARGARH(JAIPUR CITY (NORTH)), JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAXMIKANT GUPTA | | पिता:REWADMAL GUPTA | 1. 191,SHAM MANDIR KE PASS,NAIE MANDI ROAD DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN,IN |
| 2 | KHEMRAJ MEENA | | पिता:MOHAN SINGH MEENA | 1. 408 SECOND FLOOR,SHANTI NAGAR DURGAPURA,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA |
| 3 | RAIVKANT SHARMA | | पिता:DEENDAYAL SHARMA | 1. K-602 GOLDEN DOMS,RAILWAY CROSINGH KE PASS,JAGATPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SHRIRAM SHRAMA | | पिता:BHAJAN SHAYA SHARMA | 1. D-66,80 FEET ROAD,PARMHANS COLONY,JAIPUR |
| 5 | MAHISH CHAND MEENA | | पिता:SHANKER LAL MEENA | 1. 05,KHATIPURA RAILWAY STATION KE PICHE,GOVIND VIHAR CHATARPURA,DANTLI,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA |
| 6 | RUKMANEE KUMARI SHARMA | | पति:SANTOSH SHARMA | 1. P-21-A,AGARA ROAD,KESHV GARDEN COLONY,JAMDOLI,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA |
| 7 | VIMALA MEENA | | पति:MAHESH CHAND MEENA | 1. 05,KHATIPURA RAILWAY STATION KE PICHE,GOVIND VIHAR CHATARPURA,POST DANTLI,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
**(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 1,50,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार दिनांक 04.07.2024 को समय 11.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री हेमन्त ओझा उपस्थित हुआ जिसको मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री हेमन्त ओझा पुत्र स्व0 श्री शिव कुमार ओझा उम्र 47 साल निवासी म0नं0 3614, केशवराम जी की गली, नाहरगढ रोड़, चांदपोल बाजार, पुलिस थाना नाहरगढ जयपुर होना बताया। परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी ने शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में श्रीमान Add. S.P. साहब, A.C.B. जयपुर राजस्थान, विषय- J.D.A. जोन-9 में मांगी जा रही रिश्वत के सन्दर्भ में कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी श्रीमती मोहर बाई उर्फ ममता पत्नि श्री चौथी लाल निवासी रामपुर थाना खेड़ली जिला अलवर के स्वामित्व की ग्राम खो-नागोरियान तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 4487/1 एवं 4495/1 कुल किता 2 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि का J.D.A. से 90A में भूमि रूपान्तरण तथा J.D.A. पट्टा प्राप्त करने सम्बंधित कागजी कार्यवाही सम्भालता हूं। श्रीमती मोहर बाई उर्फ ममता के द्वारा उक्त भूमि का J.D.A. से 90A में रूपान्तरण के लिए दिनांक 21-9-23 को ऑनलाईन आवेदन किया जाकर आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे स्वामित्व के दस्तावेज ले आउट प्लान सर्वे प्लान पहचान सम्बंधित दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी शपथ-पत्र तथा अन्य सभी चाहे गए

दस्तावेज अपलोड कर दिये थे। भूमि रूपान्तरण हेतु 90A की कार्यवाही के लिए निर्धारित राशि 113071 रूप्ये दिनांक 29.09.23 को जमा करवा दिये गए थे। इसके पश्चात श्रीमती मोहर बाई उर्फ ममता व मेरे द्वारा भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निरन्तर श्रण्क्ण्।ण् के अधिकारियों से सम्पर्क किया जाता रहा परंतु 90A की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा कर आदेश जारी नहीं किये गये J.D.A. के अधिकारी गण हमें बार बार चक्कर लगवाते रहे है। J.D.A. में सभी लोग हमको यह कहते है की आप को सिस्टम फोलो करना पडेगा और ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी-कर्मचारीयों को पैसे देने पडेंगे तभी आप का 90-A का काम होगा नहीं तो चक्कर लगाते रहो। मजबूर हो कर मैं आज से तीन-चार दिन पूर्व हमारे काम के लिए जोन-9 की पटवारी श्रीमती विमला से मिला तो उसने कहा की आप की उक्त भूमि का रूपान्तरण हो जाएगा लेकिन आप को पांच लाख रूपये J.D.A. जोन-9 के D.C. तहसीलदार, J.E.N., D.T.P व अन्य अधिकारीयो के लिए एवं पचास हजार रूपये पटवारी विमला ने स्वयं के लिए मांगे ओर यह कहा की यह तुम्हे देने ही पडेंगे। हम हमारे भूमि रूपान्तरण के सही काम के लिए J.D.A. जोन-9 के D.C. तहसीलदार, J.E.N., D.T.P एवं अन्य अधिकारी तथा पटवारी विमला को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहते है। हम इन सभी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। कृप्या उचित कार्यवाही करें। एसडी हेमन्त ओझा प्रार्थी श्री हेमन्त ओझा पुत्र स्व0 श्री शिव कुमार ओझा उम्र 47 साल निवासी म0नं0 3614, केशवराम जी की गली, नाहरगढ रोड़, चांदपोल बाजार, जयपुर मो0 नं0 -

दिनांक 4/7/24 तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित है। मेरी श्रीमती विमला पटवारी, जेडीए जोन-9 व अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी से पूर्व में कोई लेन-देन व रंजिश नही है। श्रीमती विमला पटवारी द्वारा मुझे 90ए रूपान्तरण के लिए स्वयं के लिए रूपये मांग रही व फाईल से सम्बंधित अन्य अधिकारियो व कर्मचारियो के लिए 05 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर रही है। परिवादी श्री हेमन्त ओझा से प्रस्तुत प्रार्थना में ग्राम खौ-नागौरियन में स्थित भूमि खसरा 4487/1 एवं 4495/1 किता रकबा 0.58 हैक्टयर भमि के मालिकाना हक श्रीमती मोहर बाई उर्फ ममता का होने एवं उक्त भूमि के सम्बंध में जेडीए में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में परिवादी की भूमिका के बारे में पूछा तो परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने बताया कि उक्त भूमि की जेडीए में 90ए की कार्यवाही मेरे द्वारा करवाई जा रही है, जिसके सम्बंध में समस्त प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है इस सम्बंध परिवादी श्री हेमन्त ओझा को श्रीमती मोहर बाई उर्फ ममता का सहमति प्रार्थना पत्र पेश करने की मुनासिब हिदायत दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये कृषि भूमि का 90ए रूपान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रति व जेडीए में रूपान्तरण हेतु निर्धारित शुल्क रसीद की प्रति का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाकर कार्यालय कक्ष में श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को बुलाया जाकर परिवादी से परिचय करवाया गया। तत्पश्चात विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मंगवालया जाकर परिवादी को को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाई गई। विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में Sandisk Ultra 32GB नया मैमोरी कार्ड लगाया गया। परिवादी श्री हेमन्त ओझा व श्री प्रदीप कुमार कानि. को आपस में फोन पर सम्पर्क में रहने तथा नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत दी गई तथा वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 12.07.2024 को परिवादी श्री हेमन्त ओझा द्वारा एक 50 रूपये के ई-स्टाम्प नोटेरीशुदा पर श्रीमती मोहरबाई उर्फ ममता द्वारा खातेदारी भूमि का 90ए का रूपान्तरण करने व जेडीए पट्टा निकलवाने की समस्त कार्यवाही करने तथा इस सम्बंध में जेडीए के सक्षम अधिकारियो से सम्पर्क करने तथा कार्य में किसी प्रकार की समस्या आने पर यथा आवश्यकता अनुसार सक्षम स्तर पर शिकायत कर समस्या का निदान करवाने व सम्बंधित कानुनी कार्यवाही करने के लिए श्री हेमन्त ओझा को अधिकृति करने का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान हुई वार्ताओं को आवश्यकतानुसार एवं यथासम्भव डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व मोबाईल विडियों रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दौरान संदिग्ध अधिकारियों द्वारा कुछ रिश्वत राशि तत्काल ही मांग की स्थिति में कुछ आंशिक रिश्वत राशि संदिग्धों को दिया जाना उचित होने से कार्यवाही के दौरान कुछ आंशिक रिश्वत राशि आवश्यकतानुसार एवं यथासम्भव देना तय किया गया। परिवादी देने से मांग सत्यापन की पुष्टी सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवादी द्वारा संदिग्ध जेडीए अधिकारियों से व्यक्तिश तथा मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही की गई थी, उक्त मांग सत्यापन वार्ताओं में से मुख्य वार्ताओं का विवरण निम्नानुसार है। परिवादी द्वारा आज संदिग्ध विमला से रिश्वत मांग सत्यापन करवाने का कहने पर श्री प्रदीप कुमार कानि. को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर परिवादी के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया, संदिग्ध श्रीमती विमला से मोबाईल पर वार्ता करने पर विमला का ट्रान्सफर होने तथा दुसरे पटवारी से सम्पर्क करने की कहने, परिवादी के काम के बारे में अन्य अधिकारियो से बात करने के पश्चात ही जेडीए में आने संबंधि तथ्य प्रकट हुये। उक्त वार्ता श्री प्रदीप कुमार कानि. द्वारा वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। दिनांक 12.07.24 को परिवादी द्वारा बताया गया कि पटवारी श्रीमती विमला रिश्वती राशि

नही बोलकर मोबाईल में लिखकर ईशारे से रिश्वत की राशि की मांग करती है। इस पर परिवादी को मोबाईल से गोपनीय तरीके से विडियो रिकार्डिंग के बारे में समझाया गया व वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिंग करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 19.7.24 को परिवादी ने बताया कि आज पटवारी श्रीमती विमला के पास जाकर मेरे कार्य एवं मांग सत्यापन के क्रम में वार्ता करूंगा, मांग सत्यापन वार्ता के दौरान संदिग्ध श्री विमला द्वारा मुझसे रिश्वत मांग कर रिश्वती राशि उसी समय देने का दबाव बना सकती है, ऐसी परिस्थिति में संदिग्ध श्रीमती विमला को कुछ रिश्वती राशि देना ठीक रहेगा। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त स्थिति संभावित प्रतीत होने से विमला से फोन पर हुई वार्तानुसार सोमवार दिनांक 22.7.24 को होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान संदिग्ध को देने के लिए कुछ रिश्वती राशि साथ ले जाने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 22.7.24 को श्री प्रदीप कुमार कानि. द्वारा परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, परिवादी जेडीए ऑफिस में जाकर पटवारी श्रीमती विमला एवं श्रीमती रूकमणी शर्मा से मिला और मांग सत्यापन वार्ता की गई, उक्त वार्ता रिकॉर्ड की गई, उक्त वार्ता में श्रीमती विमला पटवारी द्वारा स्वयं का स्थानान्तरण जोन-1 में होने, परिवादी के कार्य को करवाने एवं रिश्वत मांग के क्रम में वार्ताएं करना प्रकट हुआ, उक्त वार्ता में श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा परिवादी के कार्य की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत मांग कर 50,000/- रूपये स्वयं के लिए एवं 50,000/- श्रीराम के लिए मांग करना प्रकट हुआ, श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा परिवादी से 10,000/- रूपये आंशिक रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त की गई, श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा परिवादी के काम की एवज में स्वयं के लिए रिश्वत मांग के अलावा अन्य अधिकारीगण डीसी, तहसीलदार, जेईएन, एटीपी, मास्टरप्लान वगैरह को भी रिश्वत राशि देने की वार्ता की गई, उक्त वार्ता से संदिग्ध श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टी हुई तथा एक अन्य व्यक्ति श्रीराम शर्मा की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई। उक्त तथ्यों की पुष्टी वॉइस रिकॉर्डर को सुनने व मोबाईल विडियों रिकॉर्डर को चलाकर देखने से होती है। परिवादी ने बताया कि वो रूकमणी के बताये अनुसार मेरी फाईल से सम्बंधित अन्य अधिकारियो से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। दिनांक 25.07.2024 को परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने कार्यालय में मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को रूकमणी व उसके मध्य दिनांक 23.7.24 व 24.7.24 को मोबाईल पर हुई वार्ताओं के बारे में बताया। उक्त वार्ताओं में रूकमणी शर्मा द्वारा आज 10.30 बजे परिवादी को जेडीए कार्यालय में बुलाने संबंधि तथ्य प्रकट हुये है। जिस पर श्री प्रदीप कुमार कानि. को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर व मोबाईल विडियो रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रवाना हुये थे, जिस दौरान परिवादी जेडीए में जाकर श्रीमती रूकमणी से जाकर मिला तो श्रीमती रूकमणी ने परिवादी से विज्ञप्ति के संबंध में पूछा तथा तहसीलदार के पास ले जाकर परिवादी की पत्रावली के संबंध में वार्ता की, श्रीमती रूकमणी शर्मा ने मुझसे किरण नाम की महिला जो पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करती है के लिए दो हजार रूपये की मांग की, श्रीमती रूकमणी शर्मा ने पुनः जेडीए जोन-9 के अन्य अधिकारीगण डीसी, तहसीलदार, डीटीपी, एटीपी, जेईएन आदि को रिश्वत राशि देने व कुल 10 से 15 लाख रूपये लगने संबंधि वार्ता की तथा जेईएन के आने पर जेईएन से मिलाने की वार्ता की। उक्त तथ्यों की पुष्टी वाईस रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुनने व मोबाईल विडियों रिकॉर्डर को देखने से होती है। परिवादी हेमन्त ओझा जेडीए कार्यालय में जेईएन से मिलकर मांग सत्यापन के क्रम में कानि0 श्री प्रदीप कुमार को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर व मोबाईल विडियों रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से रवाना किया गया, परिवादी जेडीए में जाकर श्रीमती रूकमणी से पुनः मिला तो श्रीमती रूकमणी ने परिवादी को जेईएन श्री खेमराज मीणा से मिलवाया और जेईएन श्री खेमराज मीणा ने परिवादी की जमीन, उसकी लोकेशन संबंधि वार्ताएं कर मौके पर दिनांक 26.7.24 को मिलने संबंधि वार्ता की तथा रिश्वत राशि के संबंध में मौके पर ही तय करना इंगित किया, श्रीमती रूकमणी शर्मा ने किरण नाम की महिला के लिए दो हजार रूपये रिश्वत के रूप में परिवादी से प्राप्त किये, उक्त वार्ता से श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा पूर्व में की गई मांग सत्यापन वार्ताओं की पुनः पुष्टी हुई तथा जेईएन श्री खेमराज मीणा एवं श्रीमती किरण की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई। उक्त तथ्यों की पुष्टी वॉइस रिकार्डर व मोबाईल विडियों रिकॉर्डर से होती है। दिनांक 25.7.24 को समय 3.48 पीएम पर श्री खेमराज मीणा जेईएन का परिवादी के पास फोन आया जिसमें परिवादी द्वारा खेमराज को कल साईट देखने का टाईम पूछा तो उन्होने कहा कि वो अपनी गाड़ी से साईट पर आ जायेगे, आप 10 बजे मौके पर पहुंच जाने संबंधि वार्ता हुई। पूर्व वार्ताअनुसार दिनांक 26.07.24 को परिवादी श्री हेमन्त ओझा द्वारा संदिग्ध श्रीमती रूकमणी एवं श्री खेमराज मीणा जेईएन से फोन पर वार्ता करने के पश्चात परिवादी श्री हेमन्त ओझा हमराह श्री प्रदीप कुमार कानि0 के रवाना हो संदिग्ध श्री खेमराज मीणा से जाकर मिला और मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता की, उक्त वार्ता में जेईएन खेमराज मीणा द्वारा परिवादी की जमीन का मौका निरीक्षण करने संबंधि वार्ता तथा जेईएन श्री खेमराज मीणा द्वारा स्वयं के लिए 40,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, उक्त तथ्यों की पुष्टी विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुनने पर हुई। दिनांक 30.07.24 को परिवादी श्री हेमन्त ओझा को श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 के साथ जेडीए जोन-9, कार्यालय में मांग सत्यापन के क्रम में भिजवाया गया, जहां पर परिवादी द्वारा संदिग्ध श्रीमती रूकमणी, तहसीलदार लक्ष्मीकान्त गुप्ता एवं श्रीमती विमला पटवारी के पास जाकर वार्ता की गई, उक्त वार्ताएं विभागीय डिजीटल रिकॉर्डर एवं मोबाईल विडियों रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई, उक्त मांग सत्यापन वार्ताओं

से तहसीलदार लक्ष्मीकान्त गुप्ता द्वारा परिवादी से 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर पचास हजार रूपये कम कर पचास हजार रूपये रिश्वत मांग की स्पष्ट तौर पर पुष्टी हुई एवं श्रीमती रूकमणी द्वारा पूर्व की रिश्वत मांग के क्रम में वार्ता करना पाया गया एवं श्रीमती विमला द्वारा भी पूर्व मांग सत्यापन वार्ता के अनुरूप की वार्ता करना प्रकट हुआ। दिनांक 31.7.24 को परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि दिनांक 30.7.24 को पटवारी श्रीमती विमला ने मेरे से मोबाईल पर वार्ता कर एवं जगतपुरा पुलिया के पास मिलकर लाईजनर रखने के संबंध में मेरे से वार्ता की और मुझ पर लाईजनर बनाने के लिए दबाव बनाया। जिस पर मैने उक्त लाईजनर की पहचान व उससे मांग सत्यापन की संभावना के चलते अपनी सहमती दी, इस संबंध में आईन्दा मांग सत्यापन करवाया जाना तय किया गया। दिनांक 31.7.24 को ही श्रीमती विमला पटवारी ने परिवादी के फोन पर व्हाट्सअप कॉल कर जेडीए कार्यालय में बुलाया, परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि संदिग्ध श्रीराम पटवारी मुझे डीसी से भी मिलवा सकता है, अतः परिवादी को पटवारी श्रीमती विमला, श्रीराम एवं डीसी से मांग सत्यापन के क्रम में भिजवाया गया जिस पर उक्त श्रीमती विमला एवं श्रीराम से वार्ताएं हुई, श्रीराम द्वारा पूर्व की मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में डीसी से परिवादी का डायरेक्ट मिलने, डीसी से रिश्वत राशि कम करवाने एवं अन्य संबंधित वार्ताएं होना प्रकट हुआ, श्रीमती विमला द्वारा पूर्व की मांग सत्यापन वार्ताओं के क्रम में परिवादी पर लाईजनर रखने के लिए दबाव बनाना प्रकट हुआ, उक्त तथ्यों से पूर्व की मांग सत्यापन वार्ताओं की पुनः पुष्टी होना पाया गया तथा डीसी उपस्थित नही मिलने से डीसी से वार्ता नही हो सकी। दिनांक 01.8.2024 को समय 3.05 पीएम पर परिवादी श्री हेमन्त ओझा को श्री प्रदीप कानि. के साथ डीसी से मांग सत्यापन वार्ता के लिए पुनः भिजवाया गया, परिवादी जेडीए जोन-9 के डीसी के पास जाकर संदिग्ध श्रीराम का नाम लेकर मिला और वार्ता की तो डीसी द्वारा परिवादी के पत्रावली के संबंध में वार्ता करना प्रकट हुआ परन्तु उक्त वार्ता में डीसी द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टी नही हुई, डीसी से रिश्वत मांग सत्यापन के पुनः प्रयास किया जाने तय किया गया। दिनांक 02.08.2024 को समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री हेमन्त ओझा को श्री प्रदीप कानि. के साथ डीसी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए रवाना किया गया, परिवादी द्वारा जेडीए पहुंच संदिग्ध श्रीराम गिरदावर से मिला और डीसी से मिलने तथा पूर्व में संदिग्ध श्रीमती रूकमणी पटवारी से हुई मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में वार्ता की गई तथा संदिग्ध श्रीराम ने परिवादी से आंशिक रिश्वती राशि के रूप में 10,000/- रूपये प्राप्त किये, उक्त तथ्य से पूर्व में हुई मांग सत्यापन वार्ताओं के क्रम में संदिग्ध श्रीराम एवं संदिग्ध श्रीमती रूकमणी पटवारी द्वारा रिश्वत मांग एवं आंशिक रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टी हुई है। दिनांक 2.8.24 को ही संदिग्ध श्रीमती विमला ने परिवादी के मोबाइल नम्बर पर लाईजनर के मोबाईल नम्बर भेज उनसे बात करने का कहने पर उक्त लाईजनर से रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी की श्रीमती विमला द्वारा बताये गये लाईजनर से मोबाईल पर वार्ता करवाई जाकर रिकर्ॉड की गई तो उक्त तथाकथित लाईजनर से श्रीमती विमला पटवारी से पूर्व से हो रही रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के क्रम में वार्ता होने के तथ्यों की पुष्टी हुई तथा दिनांक 03.08.2024 को मिलना तय हुआ, परिवादी द्वारा उक्त कथित लाईजनर की पहचान विमला पटवारी के पति के रूप में महेशचन्द मीणा नाम के व्यक्ति रूप में की गई, दिनांक 03.08.2024 को संदिग्ध लाईजनर महेशचन्द मीणा द्वारा परिवादी के मोबाईल पर व्हाट्अप कॉल कर बुलाया जिस पर परिवादी श्री हेमन्त ओझा को श्री प्रदीप कुमार कानि. के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भिजवाया गया। परिवादी संदिग्ध श्री महेशचन्द मीणा से जाकर मिला और वार्ता की गई, उक्त वार्ताओं को रिकॉर्ड किया गया, उक्त वार्ताओं से संदिग्ध महेशचन्द कथित लाईजनर द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती विमला पटवारी के द्वारा पूर्व से की जा रही मांग सत्यापन वार्ताओं के क्रम में ही फर्दर वार्ता करते हुये परिवादी का कार्य करवाने की एवज में जेडीए के अधिकारियों एवं स्वयं के लिए रिश्वत राशि 13,20,000/- रूपयों की मांग करने की पुष्टी हुई। उपरोक्तानुसार अब तक हुई समस्त रिश्वत मांग वार्ताओं के सत्यापन से जेडीए जोन-9 के अधिकारीगण श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता तहसीलदार, श्री खेमराज मीणा जेईएन, श्रीमती रूकमणी शर्मा, श्रीमती विमला मीणा, श्रीराम शर्मा एवं श्री महेशचन्द मीणा कथित लाईजनर द्वारा परिवादी का वैध कार्य करवाने की एवज में रिश्वत मांग करने की स्पष्ट तौर पर पुष्टी हुई जिस पर ट्रेप कार्यवाही के आयोजन का निर्णय लिया जाकर परिवादी को अवगत करवाया गया तो परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था होने तक एवं स्वयं के अतिआवश्यक कार्य होने से आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने हेतु मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से निरन्तर सम्पर्क में रह ट्रेप कार्यवाही करवाने के संबंध में वार्ता की जाती रही, दिनांक 22.8.2024 समय 11.58 एएम पर संदिग्ध श्री महेशचन्द मीणा कथित लाईजनर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा को व्हाट्सअप कॉल कर दिनांक 23.8.2024 को रिश्वत लेन-देन के लिए बुलाया गया, इसी दिन संदिग्ध श्रीमती विमला द्वारा समय 4.14 पीएम पर परिवादी को व्हाट्अप कॉल कर मिलने के लिए बुलाया गया, उक्त वार्ताएं रिकॉर्ड की गई, दिनांक 22.08.2024 को ही समय 4.25 पीएम पर उपरोक्त वार्ताओं के क्रम में परिवादी को श्री प्रदीप कुमार कानि. के साथ फर्दर रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में जेडीए कार्यालय में रवाना किया गया, परिवादी जेडीए कार्यालय जाकर संदिग्ध श्रीमती विमला, श्रीराम, श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता एवं श्री खेमराज मीणा जेईएन से जाकर मिला, उक्त सभी द्वारा पूर्व में हुई मांग सत्यापन वार्ताओं के क्रम में पुनः वार्ताएं की गई जिससे उक्त सभी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांग की पुनः स्पष्ट तौर पर पुष्टी हुई, इसी दिन समय 8.39 पर संदिग्ध श्रीमती रूकमणी शर्मा से व्हाट्सअप पर परिवादी से वार्ता हुई जिसमें श्रीमती

रूकमणी शर्मा द्वारा पूर्व की मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में ही वार्ता की तथा परिवादी की फाईल किसी अन्य गिरदावर श्री रविकान्त शर्मा को भिजवाने, डीसी साहब के पास शिकायत आने व मिस गाईड होने, परिवादी की फाईल उनके पास ही आने व उनके द्वारा ही काम करने संबंधि वार्ता किया जाना प्रकट हुआ, उक्त वार्ता से श्रीमती रूकमणी शर्मा द्वारा पूर्व की मांग सत्यापन की वार्ताओं की पुष्टी की तथा अन्य व्यक्ति श्री रविकान्त शर्मा की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई। अतः उपरोक्तानुसार अब तक की गई समस्त मांग सत्यापन कार्यवाही से दिनांक 23.08.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 22.08.2024 को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही पर अग्रीम कार्यवाही करने के क्रम में चौकी हाजा के समस्त स्टाफ को अलर्ट करते हुये दोनो स्वतन्ंत्र गवाहों को कार्यालय में दिनांक 23.08.2024 को उपस्थित होने हेतु सूचित करवाया गया, जिस पर पूर्व से पाबन्धशुदा तीन स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित हुये जिनको मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री दीपक वर्मा हाल अनुभागाधिकारी, परीक्षा अनुभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर दुसरे ने अपना नाम श्री सचिन कुमार शर्मा हाल अनुभागाधिकारी, विधि महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं तीसरे ने अपना नाम रोहिताश कुमार गुर्जर हाल वरिष्ठ सहायक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-प्रथम झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर बताया, जिनसे गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही गई तो तीनों ने पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। इसी दौरान परिवादी श्री हेमन्त ओझा के कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी द्वारा संदिग्ध श्रीमती रूकमणी शर्मा एवं श्री महेशचन्द मीणा से मोबाईल पर वार्ता कर आने का समय एवं स्थान के संबंध में वार्ता की तो श्रीमती रूकमणी शर्मा ने 03 बजे से पहले जेडीए में आने तथा श्री महेशचन्द मीणा से राजापार्क एलबीएस कॉलेज के आस-पास मिलने की वार्ता की गई, अन्य संदिग्धों श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता तहसीलदार, श्री खेमराज मीणा जेईएन, श्रीमती विमला मीणा से पूर्व में दिनांक 23.08.2024 को जेडीए में मिलने की पूर्व वार्ताओं में प्रकट हुआ था। अतः आज ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी हेमन्त ओझा से तीनों स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.20 पीएम पर नियमानुसार फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई। समय 3.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी मय श्री हरिभजन सउनि, श्री राजेन्द्र कुमार हैडकानि0 नं0 51, श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री मनीष हैड कानि0 नं0 31, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री पुष्पेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री विरेन्द्र वरिष्ठ सहायक, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर, श्री आशीष कानि0, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम जयपुर, श्रीमती सरोज धायल, पुलिस निरीक्षक, इन्टे. शाखा, श्रीमती पूजा हैडकानि0 65 आरटीआई सेल भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, श्रीमती राजबाला हैडकानि0 50 सीपीएस, श्रीमती शर्मिला म0कानि0 नं0 96 भ्र0नि0ब्यूरो एस0यू0-द्वितीय जयपुर व तीनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक वर्मा, श्री सचिन कुमार शर्मा एवं श्री रोहिताश कुमार गुर्जर के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना होने से पूर्व श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को परिवादी श्री हेमंत ओझा के साथ उनके निजी वाहन से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही एसीबी कार्यालय से रवाना हुये तथा समय 3.30 पीएम पर जयपुर नगर निगम कार्यालय के पास पहुंचे। निजी व सरकारी वाहनो को रोड़ किनारे पर लगाया गया, उक्त कार्यालय के पास ही श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 व परिवादी श्री हेमन्त ओझा उपस्थित मिले जिनको आवश्यक हिदायत की गई। समय 3.44 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री हेमन्त ओझा को सुपुर्द कर उसको संदिग्ध जेडीए अधिकारियों से रिश्वत लेन-देन के संबंध में वार्ता करने व राशि देने हेतु जेडीए कार्यालय, जोन-9 की ओर रवाना किया गया तथा स्वयं भी परिवादी के पिछे-पिछे रवाना हो गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम जेडीए कार्यालय के मुख्य गेट व गेट के अन्दर की ओर अपनी पहचान छुपाते हुये गोपनीय रूप से ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी व श्री प्रदीप कुमार कानि. के निर्धारित ईशारे के इन्तार में मुकिम रहे। तत्पश्चात् समय 05.25 पीएम परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रवेश कर परिवादी श्री हेमन्त ओझा के पास पहुंचे, परिवादी ने मन् टीएलओ को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी श्री हेमन्त ओझा ने बताया कि मैं जेडीए जोन-9 जयपुर में लक्ष्मीकांत गुप्ता जी के कार्यालय कक्ष में गया, जहां पर उन्होंने मेरे से 50,000/रूपये रिश्वती राशि एक अन्य टेबल की दराज में रखवाये। उसके बाद जेडीए जोन-9 में श्रीराम शर्मा पटवारी जी से मिलकर उनके साथ रवाना होकर जेडीए के पास स्थित कार्यालय नगर नियोजन में कोने में चाय की थडी पर बैठकर वार्ता की गई व पार्किंग में मौजूद गाडियों के पास जाकर रिश्वती राशि 20,000/रूपये श्रीराम जी ने मुझसे लिये, तत्पश्चात जेडीए जोन-9 में खेमराज जी जेईएन साहब से मिला, जिन्होंने अपने पास खडे अभय नाम के व्यक्ति को रिश्वती राशि देने के लिए मेरे साथ सीढीयों में भेजा, जिसको मैंने रिश्वती राशि के 40,000/रूपये दिये, उसके बाद मैं रूकमणी जी गिरदावर से जोन-9 में उनके केबिन में मिला, जिन्होंने मुझे लेकर द्वितीय तल की सीढीयों के पास स्थित कुर्सियों पर बैठकर रिश्वत के संबंध में वार्ता कर श्री रविकांत शर्मा गिरदावर जी को

बुलाया इसके बाद हम प्रथम तल पर स्थित पार्किंग में चले गये और वहां पर मांग अनुसार रूकमणी जी और रविकांत जी ने मेरे से 20-20 हजार रूपये की रिश्वती राशि ली। इस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम, तीनों स्वतंत्र गवाहन व परिवादी श्री हेमंत ओझा को हमराह लेकर तृतीय तल पर स्थित जेडीए जोन-9 के कक्ष नं0 302 में आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के कार्यालय कक्ष में पहुंचे, जहां पर कार्यालय कक्ष में मौजूद व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराही जाप्ते के सहयोग से डिटेन किया गया। इसके बाद परिवादी की निशादेही से श्रीराम शर्मा पटवारी, श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा गिरदावर, श्री रविकांत शर्मा गिरदावर, श्री खेमराज मीणा जेईएन, श्री अभय शर्मा प्राईवेट व्यक्ति को हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन करवाया गया व श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक मय महिला कानि0 श्रीमती शर्मिला, स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर को भेजकर श्रीमती विमला मीणा गिरदावर को डिटेन करवाया गया। आरोपीगणो के मोबाईल फोन को फ्लाईट मोड में करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये, जिनको पृथक-पृथक जरिये फर्द जब्त किये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर नगर-प्रथम जयपुर को श्रीमती विमला मीणा गिरदावर के पति श्री महेशचन्द मीणा को डिटेन करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि इन्होंने मेरे से रिश्वती राशि लाने के संबंध में पूछा तो मैंने उनको कहा कि लाया हूं, तो उन्होंने कहा कि आपकी फाईल चल जायेगी और इन्होंनेे मेरे को अपने पास ही स्थित एक अन्य टेबल की दराज में रिश्वती राशि के पचास हजार रूपये रखवा दिये और पूछा कि आपने जेईएन साहब को दे दिये क्या, तब मैंने कहा कि वो सीट पर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कल दे देना। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिटेनशुदा समस्त संदिग्धांे को स्वयं का व स्वतंत्र गवाहन मय ट्रेप टीम का परिचय देते हुए श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता का पूरा नाम पता पूछा तो श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री रेवडमल गुप्ता, उम्र-55 साल, जाति-महाजन, निवासी-नई मण्डी रोड, पुलिस थाना-कोतवाली, जिला-दौसा हाल नायब तहसीलदार, कार्यभार तहसीलदार जेडीए जोन-9 जयपुर मोबाईल नं0 होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के संबंध में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तसल्ली देकर पूछा तो आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता ने बताया कि इनसे मेरी मुलाकात पूर्व में 90ए भूमि रूपान्तरण के संबंध में हुई थी, मैंने इनसे कोई रिश्वती राशि नही मांगी थी और ना ही रिश्वती राशि प्राप्त की गई, इस पर हमराहियान स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश गुर्जर से जहां परिवादी द्वारा रूपये रखे गये थे, उक्त दराज की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई, तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर से आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता स्वयं की टेबल की दराज की तलाशी लेनी चाही तो दराज में लॉक होना पाया गया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता से दराज की चाबी पूछी तो आनाकानी करने लगे, उसके बाद जोर देकर पूछने पर बताया कि दराज की चाबी डस्टबिन में फेंक दी है, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर द्वारा टेबल के नीचे रखे गये डस्टबिन में ढूंढकर चाबी निकाली और दराज को खोला गया तो एक जयपुर विकास प्राधिकरण के पीले रंग के पम्पलेट में लपेटी हुई रिश्वती राशि मिली, जिसको स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर द्वारा 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी निकालकर पेश की, उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो हुबहू होना पाये गये व स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर से उक्त नोटों को गिनवाया तो 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000/रूपये होना बताया, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री रोहिताश कुमार गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा गिरदावर के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं श्रीमती रूकमणी शर्मा, गिरदावर से उनकी सीट पर मिला तो उन्होंने मुझे साथ लेकर द्वितीय तल की सीढीयों के पास स्थित कुर्सियों पर बैठकर रिश्वत के संबंध में व अन्य वार्ता कर रूकमणी जी ने कहा कि रविकांत जी को भी देने पडेंगे, मैं उनको बुला लेती हूं, इस पर श्रीमती रूकमणी जी ने रविकांत शर्मा गिरदावर जी को बुलाया इसके बाद हम प्रथम तल पर स्थित पार्किंग में चले गये और वहां पर मांग अनुसार रूकमणी जी और रविकांत जी को 20-20 हजार रूपये की रिश्वती राशि दी गई। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा का पूरा नाम पता पूछा तो श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा पत्नि श्री संतोष शर्मा, उम्र-38 साल, म0नं0-21, केशव गार्डन कॉलोनी, आगरा रोड जामडोली जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर मोबईल नम्बर होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा को परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि के संबंध में पूछा तो आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा इनसे कोई रिश्वती राशि नहीं ली है और ना ही मुझे रिश्वती राशि के बारे में पता है। इस पर हमराहियान स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा व आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा को हमराही महिला जाप्ते की मदद से साथ लेकर उनके केबिन में गये जहां पर श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा की पुत्री सुश्री सलोनी भी मौजूद थी, श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा ने वहां पर रखे एक बैग को अपना होना बताया, जिसकी तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से लिवाई गई तो रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई, इसके बाद वहां पे रखे दूसरे बैग को पुत्री सलोनी का होना बताया, जिसकी तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से लिवाई

गई तो बैग में 500-500 रूपये के नोटो की एक गड्डी मिली, जिसके बारे में श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा ने बताया कि उक्त रूपये मेरी बिटिया अपने बैग में ईलाज के लिये लेकर आई थी। उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान नहीं होना पाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से उक्त नोटों को गिनवाया तो 500-500 रूपये के 100 नोट कुल पचास हजार रूपये होना बताया, आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा से स्वतंत्र गवाहन के समक्ष पुनः उक्त राशि के सम्बंध पूछा तो बेटी के ईलाज के लिए किसी से मांग कर लाना बताया, किस से मांग कर लाने के बारे में पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नही देते हुए अलग-अलग व्यक्तियो से लेकर आना बताया, श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा ने उक्त संदिग्ध 50,000/- रूपये के सम्बंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उक्त राशि को कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से आरोपी श्री रविकांत शर्मा गिरदावर के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि रविकांत जी, रूकमणी जी के बुलाने पर नीचे आये थे और फिर हमारे साथ पार्किंग में चले गये, इन्होंने मेरे से 20,000/रूप्ये रिश्वती राशि लेकर अपनी पेंट की जैब में रख लिये थे । इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रविकांत शर्मा को उसका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री रविकान्त शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा, उम्र-41 साल, निवासी-के-602, गोल्डन हाउस जगतपुरा फाटक के पास, जगतपुरा जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर मो0नं0 होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि के बारे में आरोपी श्री रविकांत शर्मा से पूछा तो उसने कहा कि मेरे द्वारा कोई रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की गई और ना ही कोई रिश्वती राशि की मांग की गई। इस पर स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन कुमार शर्मा से आरोपी श्री रविकांत शर्मा की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई, जिस पर श्री रविकांत शर्मा को हमराह लेकर उसकी सीट पर गये जहां पर आरोपी श्री रविकांत शर्मा द्वारा अपना बैग बताया गया, जिसकी स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा द्वारा तलाशी लिवाई गई तो कोई संदिग्ध वस्तु व रिश्वती राशि नहीं पाई गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से आरोपी श्री खेमराज मीणा जेईएन के बारे में पूछा तो परिवादी श्री हेमंत ओझा ने बताया कि मैं जेडीए जोन-9 में खेमराज जी जेईएन साहब से मिला, जिन्होंने रिश्वत राशि लेकर आने के बारे में पूछा और कहा कि आपने तहसीलदार जी को दे दिये क्या और उसके बाद अपने पास खडे अभय नाम के व्यक्ति को रिश्वती राशि लेने के लिए मेरे साथ सीढीयों में भेजा, जिसको मैंने रिश्वती राशि के 40,000/रूपये दिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमराज मीणा व श्री अभय कुमार शर्मा का पूरा नाम पता पूछा तो दोनों ने क्रमशः अपना नाम पता श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री मोहन सिंह मीणा, उम्र-42 साल, जाति-मीणा, निवासी-प्लॉट नं0-408, द्वितीय-फ्लोर शांति नगर दुर्गापुरा जयपुर, हाल जेईएन जेडीए जोन-9 जयपुर मो0नं0 एवं श्री अभय शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा, उम्र-32 साल, निवासी-म0नं0-42, पटेल नगर, कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर मो0नं0 व होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि के बारे में आरोपी श्री खेमराज मीणा से पूछा तो उसने रिश्वती राशि प्राप्त करने में अनभिज्ञता जाहिर कर बताया कि आप मेरे पास कोई रिश्वती राशि हो तो चैक कर लो। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अभय कुमार शर्मा से रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरे को खेमराज जी ने कहा कि आप इनके साथ जाओ तो मैं इनके साथ सीढीयों की तरफ चला गया और इन्होंने मुझे रूपये दिये जो मैनें खेमराज जी के कहने पर उनकी सीट के पीछे लगी रैक पर रख दिये, मुझे मालूम नहीं था कि खेमराज जी इनसे किस बात के रूपये लेने के लिए भेज रहे है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं श्री अभय कुमार शर्मा को साथ लेकर उनके केबिन में गया तथा जहां पर स्वतंत्र गवाहान से आरोपी श्री खेमराज मीणा की टेबल व रैक की तलाशी ली गई परंतु रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई। इसके बाद पुनः तसल्ली पूर्वक तलाशी ली गई तो आरोपी श्री खेमराज मीणा की सीट के पास स्थित खिडकी के छज्जे पर 500-500/रूपये के नोटो की गड्डी मिली, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा से उठवाये जाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000/रूपये बताये। उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो हुबहू होना पाये गये, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसी दौरान श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता द्वारा डिटेनशुदा श्री महेशचन्द मीणा व उसका मोबाईल फोन फ्लाईट मोड पर किया हुआ पेश किया, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा एसीबी टीम का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री महेशचन्द पुत्र श्री शंकरलाल मीणा, उम्र-40 साल, निवासी-प्लॉट नं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, जगतपुरा जयपुर (लाईजनर जेडीए) बताया। परिवादी श्री हेमंत ओझा ने बताया कि मैं श्रीमती विमला मीणा जी के कहने पर व उनके बताये लाईजनर महेशचन्द जी से मिला तो इन्होंने 90ए भूमि रूपान्तरण कराने के लिये जेडीए के अधिकारियों के लिए 13,20,000/रूपये बताये। इन्होंने मुझे जल्दी ही जवाब देने के लिए कहा था, नहीं तो जेडीए में अधिकारियों के ट्रांसफर होने वाले है और इनकी मैडम श्रीमती विमला मीणा गिरदावर ने कहा था कि आपसे तो भागा दौडी होगी नहीं, इसलिए आप लाईजनर को रख लो और महेशचन्द मीणा के नम्बर देकर उनसे सम्पर्क करने के लिए बताया। विमला मीणा ने काफी टाईम तक जेडीए जोन-9 में पदस्थापन के दौरान मेरे काम को अटका के रखा और लाईजनर रखने का दबाव बनाया। इस पर श्री महेशचन्द मीणा से पूछा तो उसने

कहा कि मैंने मेरी पत्नि श्रीमती विमला मीणा जो जेडीए में पदस्थापित है, उनके कहने पर मैं हेमंत जी से मिला था। मैंने इनसे कोई रिश्वती राशि नहीं मांगी है। आरोपी श्री महेशचन्द मीणा के मोबाईल फोन को कब्जा एसीबी लिया गया, जिसको पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जायेगा। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क RKR-1 व RKR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क RKL1 व RKL2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रविकांत शर्मा के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री रविकांत शर्मा के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री रविकांत शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क RVR-1 व RVR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री रविकांत शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में श्री रविकांत शर्मा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क RVL-1 व RVL-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री रविकांत शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविकांत शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 20,000/रूपये अपने पहनी हुई पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रखी गई थी, उक्त स्थान का धोवन लिया जाना है, जिस हेतु आरोपी श्री रविकांत शर्मा के लिए पायजामा की व्यवस्था कर पायजामा पहनाकर पहनी हुई पेन्ट निकलवाई गई। इसके बाद उक्त पैंट की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क RVP-1, RVP-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री रविकांत शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पेन्ट को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क RVP अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री खेमराज मीणा के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री खेमराज मीणा के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री खेमराज मीणा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क KMR-1 व KMR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री खेमराज मीणा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री

खेमराज मीणा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क KML-1 व KML-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री खेमराज मीणा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अभय शर्मा के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री अभय शर्मा के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री अभय शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क ABR-1 व ABR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री अभय शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री अभय शर्मा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क ABL-1 व ABL-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री अभय शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्रीराम शर्मा के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्रीराम शर्मा के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्रीराम शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क SRR-1 व SRR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्रीराम शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्रीराम शर्मा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क SRL1 व SRL-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्रीराम शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सचिन शर्मा व श्री दीपक वर्मा से आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता की टेबल की अन्य दराजों की तलाशी लिवाई गई तो डेस्कटॉप रखी टेबल की दराज में दो 500-500 रूप्ये के नोटो के दो बंच मिले, जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहन से गिनवाया तो एक बंच में 500-500 रूप्ये के 60 नोट व दूसरे बंच में 500-500 रूप्ये के 40 नोट कुल राशि 50,000/रूपये बताये। उक्त राशि के संबंध में आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता से पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त राशि मैं घर से लेकर आया था, मुझे मकान की सांई देनी थी। आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता का उक्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाने पर उक्त राशि संदिग्ध पाये जाने से कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से श्रीमती विमला मीणा भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरी 90ए भूमि रूपान्तरण के संबंध में किये गये आवेदन के संबंध में मिला तो उन्होंने मेरी फाईल को चलाने के लिए 50,000/रूपये रिश्वती राशि स्वयं के लिए व अन्य अधिकारियों के लिए 5,00,000/रूपये की मांग की गई थी और मेरी फाईल को काफी दिनों से अटका रखी थी, जिससे परेशान होकर मैंने एसीबी में शिकायत दी थी, शिकायत देने के पश्चात श्रीमती विमला का ट्रांसफर जेडीए जोन-1 में हो गया उसके बाद उसने मुझे कहा कि सभी अधिकारियों को पैसे देने पडेंगे, मैं बात कर लूंगी और उसके बाद मुझे कहा कि आप परेशान हो जाओगे मैं आपको एक व्यक्ति से मिला देती हूं, वो आपका सारा काम करवा देगा। विमला जी मेरे उपर लाईजनर लेने का दबाव बनाने लग गई। लाईजनर के इन्होंने 13,20,000/रूपये बताये। इसके बाद इन्होंने अपने पति श्री महेश चन्द के नम्बर देकर संपर्क कराया। महेशचन्द ने भी जेडीए के अधिकारियों के लिए 13,20,000/रूपये की मांग की गई और आज भी महेशचन्द बार-बार फोन कर रिश्वती राशि देने का दबाव बना रहा था और विमला जी ने कल दिनांक 22.08.24 को मांग सत्यापन के दौरान फोन कर मिलने के लिए व महेश जी से काम कराने के लिए कहा था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया श्रीमती विमला मीणा से पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्रीमती विमला मीणा पत्नि श्री महेश चन्द मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-प्लॉट नं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, जगतपुरा

जयपुर, हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-1 जयपुर मो0नं0 होना बताया। आरोपिया श्रीमती विमला मीणा से विभिन्न दिनांको को परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि की मांग करने के संबंध में पूछा तो आरोपिया ने कहा कि हेमंत जी मेरे से लोकसूचना प्रकाशित नहीं कराने के संबंध में वार्ता हुई थी मैंने द्वारा इनसे कोई रिश्वती राशि की मांग नहीं की गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न दिनांको को हुई वार्ताओं से प्रकट हुये रिश्वत मांग के तथ्यों के बारे में पूछा तो श्रीमती विमला मीणा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार आरोपिया श्रीमती विमला मीणा तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) जेडीए जोन-1 जयपुर की हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ में परिवादी के वैध कार्य करने की एवज में जेडीए के अधिकारियो से मिलिभगत कर उनके लिए रिश्वती राशि देने के लिए उत्प्रेरित करना, 90ए की भूमि रूपातन्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही करवाने के लिए लाईजनर रखने व लाईजनर के लिए जेडीए के अधिकारियो के 13,20,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग करना व अपने पति श्री महेशचन्द मीणा परिवादी श्री हेमन्त ओझा से लाईजनर के रूप में परिचित करवाकर उसके मार्फत परिवादी से रिश्वती राशि के रूप में 13,20,000/-रूपये मांग करने के तथ्यो की पुष्टि होती है। आरोपिया श्री विमला मीणा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) सपठित धारा 61 भारतीय न्याय संहिता में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा से रिश्वती राशि बरामद की जानी है। आरोपिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती पूजा लाम्बा हैडकानि0, व श्रीमती शर्मिला महिला कानि0 के साथ बन्द अलग कमरे में ले जाकर तलाशी ली गई तो श्रीमती सरोज धायल पुलिस निरीक्षक ने बताया कि श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा से काफी गहनता से पूछताछ करने पर रिश्वती राशि उनके सलवार की जैब में होना प्रकट होने पर उनसे रिश्वती राशि बरामद करवाने का बार-बार कहने के पश्चात् भी नही निकालकर देेने पर उनकी तलाशी लिये जाने के प्रयास करने पर उनके द्वारा बलपूर्वक महिला पुलिस कर्मियो का विरोध किया गया, जिस पर महिला पुलिस कर्मी द्वारा उनको काबु में कर रिश्वती राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा रिश्वती राशि को सलवार की जैब में से निकालकर फर्श पर फैक दिया, जिसको स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा को बुलाया जाकर उठवाया जाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/- रूपये होना पाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो हुबहू होना पाये गये, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये। आरोपिया श्रीमती रूकमणी शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण की फाईल चलाने व रिपोर्ट करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वती राशि 01 लाख रूपये स्वयं के 50,000 रूपये व पटवारी श्रीराम शर्मा के नाम से 50,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 10,000/- रूपये रिश्वती प्राप्त करना व जेडीए के अन्य अधिकारियो से कार्य करवाने का आश्वसान देकर उनको रिश्वती राशि देने के लिए परिवादी पर दबाव पर बनाना, रविकांत गिरदावर को रिश्वत देने के लिए दबाव बनाना तथा स्वयं द्वारा शेष रिश्वती राशि 90,000/- रूपये देने के लिए रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दबाव बनाने तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 20,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त किये गये जो आरोपिया के पहने हुये सलवार की दांहिनी जेब से बरामद किये गये, आरोपिया का उक्त कर्त्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री हेमंत ओझा से आरोपी श्रीराम पटवारी के बारे में पूछा तो परिवादी श्री हेमंत ओझा ने बताया कि मैं जेडीए जोन-9 में श्रीराम शर्मा पटवारी जी से मिलकर उनके साथ रवाना होकर जेडीए के पास स्थित कार्यालय नगर नियोजन में कोने में चाय की थडी पर चाय पीकर पार्किंग में मौजूद गाडियों के पास रिश्वती राशि 20,000/रूपये प्राप्त किये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का व स्वतंत्र गवाहन मय ट्रेप टीम का परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्रीराम शर्मा पुत्र श्री भजन सहाय शर्मा, उम्र-56 साल, निवासी-डी-66, परमहंस कॉलोनी, 80 फीट रोड, पुलिस थाना-मुरलीपुरा, जयपुर हाल पटवारी जेडीए जोन-9 जयपुर मो0नं( होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि के बारे में आरोपी श्रीराम से पूछा तो उसने कहा कि मेरे द्वारा कोई रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की गई, इनका मेरे पास कोई काम नहीं है। इनके द्वारा मुझे 20,000/रूप्ये जबरदस्ती ईनाम के तौर पर दिये गये है। उक्त रूपये मैंने मेरी मोटरसाईकिल के बैग में रख दिये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गहवान श्री दीपक वर्मा व हमराहियान जाप्ते के आरोपी श्रीराम शर्मा को साथ लेकर जेडीए में स्थित मोटरसाईकिल पार्किंग में पहुंचे, जहां पर श्रीराम ने अपनी मोटरसाईकिल हीरो सीडी डीलक्स आरजे 14 बीजेड 7471 में लगे बैग में रैन कोट बैग में रखे रेनकोट में रिश्वती राशि के 20,000/- रूपये होना बताया, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से मोटरसाईकिल के बैग की तलाशी लिवाई गई तो रैन कोट बैग में रैन कोट में 500-500 रूपये के नोट बरामद हुए, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये होना बताया, स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वर्मा से उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो हुबहू होना पाये गये, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की

गई, जिसमें आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क LKR-1 व LKR-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क LKL-1 व LKL-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री रविकांत शर्मा से रिश्वती राशि बरामद की जानी है। जिसके लिए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन कुमार शर्मा एवं आरोपी श्री रविकांत शर्मा की मौजूदगी में प्रथम तल पर स्थित पार्किंग में आरोपी रविकांत शर्मा की मोटर साईकिल नं0 आरजे29एसजे3728 की तलाशी ली गई, जिसमें रिश्वती राशि बरामद नहीं हुई, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविकांत शर्मा को तसल्ली देकर पुनः रिश्वती राशि के संबंध में पूछताछ की गई परंतु आरोपी श्री रविकांत शर्मा द्वारा रिश्वती राशि के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मय स्वंतत्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा व आरोपी श्री रविकांत शर्मा की मौजूदगी में आरोपी श्री रविकांत शर्मा के केबिन की पुनः तलाशी ली गई तो आरोपी रविकांत के केबिन में बनी रेक की नीचे रखी फाईलो के बीच में फर्श पर छुपे 500-500 रूपये के नोट बरामद हुए, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये होना बताया, स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा से उक्त नोटों के नम्बर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो हुबहू होना पाये गये, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 50,000/रूपये अपने कार्यालय की अन्य टेबल की दराज में जिस स्थान पर परिवादी से उक्त रिश्वती राशि रखवाई गई थी उक्त स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपडे की चिंदी से रिश्वती राशि रखे गये स्थान को रगडकर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क LKC-1, LKC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त धोवन में काम में ली गई सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क LKC अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 20,000/रूपये अपने पहनी हुई सलवार की दाहिनी साईड की जेब में रखी गई थी, उक्त स्थान का धोवन लिया जाना है, जिस हेतु श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के लिए साडी व अन्य कपडो की व्यवस्था करवाकर महिला की गरिमा को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सरोज धायल पु0नि0 द्वारा हैडकानि श्रीमती पूजा लाम्बा व महिला कानि0 श्रीमती शर्मिला की सहायता से अन्य कक्ष में कपडे चेंज करवाये गये। इसके बाद श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के सलवार की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क RKP-1, RKP-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त सलवार को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क RKP अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविकांत शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 20,000/रूपये उसके केबिन में बनी टेबल के नीचे रखी फाईलो के बीच में फर्श पर बरामद हुई थी, उक्त रिश्वती राशि के बरामदगी स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपडे की चिंदी से रिश्वती राशि रखे गये स्थान को रगडकर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी

होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क RVC-1, RVC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री रविकांत शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त धोवन में काम में ली गई सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क RVC अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 20,000/रूपये मोटरसाईकिल हीरो सीडी डीलक्स आरजे 14 बीजेड 7471 में लगे बैग में रैन कोट बैग में रखे बरसाती रेनकोट में लिपटी हुई बरामद हुई उक्त रेनकोट से रिश्वती राशि के बरामदगी स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपडे की चिंदी से रिश्वती राशि रखे गये स्थान को रगडकर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क SRC-1, SRC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री श्रीराम शर्मा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त धोवन में काम में ली गई सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क SRC अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त रेनकोट को पृथक से शील्डमोहर कर मार्क RNSR अंकित किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमराज मीणा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 40,000/रूपये स्वयं की सीट की बांई तरफ खिड़की के बाहर छज्जे के उपर से बरामद हुई उक्त छज्जे से रिश्वती राशि के बरामदगी स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपडे की चिंदी से रिश्वती राशि बरामदगी स्थान को रगडकर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क KMC-1, KMC-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री खेमराज मीणा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त धोवन में काम में ली गई सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क KMC अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमराज मीणा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से ली गई रिश्वती राशि 40,000/रूपये श्री अभय कुमार शर्मा को दिलवाये गये थे तथा श्री अभय कुमार शर्मा ने उक्त रूपये आरोपी श्री खेमराज मीणा के कहे अनुसार उनकी सीट के पीछे लकड़ी की रैक पर रखे गये थे, उक्त स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपडे की चिंदी से रिश्वती राशि बरामदगी स्थान को रगडकर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क KMT-1, KMT-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री खेमराज मीणा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त धोवन में काम में ली गई सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाकर उपरोक्तानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क KMT अंकित कर उपरोक्त संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिश्वत लेन-देन के दौरान रिकार्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी श्री हेमंत ओझा द्वारा बताये कथनो की पुष्टि होना पाया गया। आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, नायब तहसीलदार कार्यभार तहसीलदार जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 01 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर स्वयं के 50,000/- रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमति देना व स्वयं के द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि 50,000/- रूपये व जेईएन श्री खेमराज मीणा को रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बनाना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 50,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त किये गये जो आरोपी के कार्यालय टेबल की दराज में से बरामद किये गये, आरोपी का उक्त कर्त्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्रीराम शर्मा पटवारी जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य करवाने के कार्य एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हेमंत ओझा को डीसी से मिलवाने व सीधे ही रिश्वती राशि दिलवाकर उसका काम करवाने का आश्वासन देकर व अन्य आरोपीगणो से मिलिभगत कर परिवादी से 10,000/- रूपये प्राप्त करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 20,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त किये गये जो आरोपी की मोटरसाईकिल के बैग में रखे रेनकोट बैग में रखी हुई बरसाती (रेनकोट) में लिपटी हुई अवस्था में बरामद किये गये, आरोपी का उक्त कर्त्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस के तहत कारित

करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री रविकान्त शर्मा भू-अभिलेख निरीक्षक(गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी की भूमि के रूपान्तरण अन्तर्गत 90-ए करवाने के कार्य की एवज में लोकसेवक के पद पर रहते हुये जेडीए जोन-9 के आरोपीगण अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वयं के लिए आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा की मौजुदगी में परिवादी से 20,000/- रूपये प्राप्त किये गये जो आरोपी की कार्यालय सीट के निचे से बरामद किये गये, आरोपी का उक्त कर्त्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री खेमराज मीणा, जेईएन जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य में मौका रिपोर्ट करने व उसके कार्य करवाने की एवज में जेडीए के अन्य आरोपीगणो के साथ मिलिभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 40,000/- रूपये की मांग करना तथा आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 40,000/- रूपये अपने कार्यालय में आये हुये श्री अभय शर्मा प्रावईट व्यक्ति को दिलवाये जाकर उक्त रूपये अपनी कार्यालय सीट के पिछे लकड़ी की रैक के उपर रखवाये गये जो आरोपी द्वारा अपनी कार्यालय खिड़की के बाहर छजे पर रख छुपा दिये गये जो उक्त छजे के उपर से बरामद किये गये, आरोपी का उक्त कर्त्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री महेशचन्द मीणा (लाईजनर) द्वारा परिवादी की भूमि के रूपान्तरण अन्तर्गत 90-ए करवाने के कार्य की एवज में अपनी पत्नि श्रीमती विमला मीणा, पटवारी जेडीए जोन-1 व जेडीए के अधिकारियों से मिलीभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान स्वयं के लिए के लिए एवं जेडीए के अधिकारियों के लिए 13,20,000/-रूपये की मांग करना व परिवादी का वैध कार्य करवाने की एवज में उक्त रूपये जल्द देने का दबाव बनाने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 व 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस के तहत कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल रिश्वत राशि 50,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री रोहिताश कुमार गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "LKM" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसी प्रकार आरोपी श्री खेमराज मीणा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 80 नोट कुल रिश्वत राशि 40,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "KMM" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसके बाद आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल रिश्वत राशि 20,000 /रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "RKM" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। इसके बाद आरोपी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल रिश्वत राशि 20,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक वर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "SRM" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। तत्पश्चात् आरोपी श्री रविकांत शर्मा द्वारा परिवादी श्री हेमंत ओझा से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल रिश्वत राशि 20,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री सचिन कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "RVM" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए।परिवादी श्री हेमंत ओझा की श्रीमती मोहरबाई उर्फ ममता की खातेदारी भूमि का 90ए की रूपान्तरण की पत्रावली आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा के अधीनस्थ कार्य करने वाले श्री अजय कुमार सैनी ने प्रस्तुत की गई, उक्त पत्रावली को जरिये फर्द जब्ती पृथक से जब्त किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमानुसार परिवादी श्री हेमन्त ओझा व स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी हेमन्त ओझा की निशादेही से घटना स्थल का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की नियमानुसार फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की गई। कार्यवाही के दौरान आर्टिकल्स को सीलमोहर करने में काम में ली गई एसीबी जयपुर की सील ब्रास सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। उक्त समस्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी की गई। कार्यवाही के दौरान पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही से संबंधित श्रीमती किरण की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई है, अतः उक्त की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा इसके अतिरिक्त जोन-9 के डीसी श्री गुलाबचन्द की भूमिका के संबंध में भी अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा। अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण (1) श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, नायब तहसीलदार कार्यभार तहसीलदार जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 01 लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर स्वयं के 50,000/- रूपये रिश्वती राशि लेने की

सहमति देना व स्वयं के द्वारा मांग की गई रिश्वती राशि 50,000/- रूपये व जेईएन श्री खेमराज मीणा को रिश्वती राशि देने के लिए दबाव बनाना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 50,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त करने (2) आरोपी श्री खेमराज मीणा, जेईएन जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य में मौका रिपोर्ट करने व उसके कार्य करवाने की एवज में जेडीए के अन्य आरोपीगणो के साथ मिलिभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 40,000/- रूपये की मांग करना तथा दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 40,000/- रूपये अपने कार्यालय में आये हुये श्री अभय शर्मा प्रावईट व्यक्ति को दिलवाये जाकर उक्त रूपये अपनी कार्यालय सीट के पिछे लकड़ी की रैक के उपर रखवाकर बाद में उक्त रिश्वत राशि अपनी कार्यालय खिड़की के बाहर छजे पर रखने, (3) आरोपी श्री रविकान्त शर्मा भू-अभिलेख निरीक्षक(गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी की भूमि के रूपान्तरण अन्तर्गत 90-ए करवाने के कार्य की एवज में लोकसेवक के पद पर रहते हुये जेडीए जोन-9 के आरोपीगण अधिकारियों से मिलीभगत कर स्वयं के लिए आज दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपिया श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा की मौजुदगी में परिवादी से 20,000/- रूपये प्राप्त करने, (4) आरोपी श्रीराम शर्मा पटवारी जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण के कार्य करवाने के कार्य एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री हेमंत ओझा को डीसी से मिलवाने व सीधे ही रिश्वती राशि दिलवाकर रिश्वती राशि कम करने तथा उसका काम करवाने का आश्वासन देकर व अन्य आरोपीगणो से मिलिभगत कर परिवादी से 10,000/- रूपये प्राप्त करना व दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 20,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त करने, (5) आरोपी श्री महेशचन्द मीणा (लाईजनर) द्वारा परिवादी की भूमि के रूपान्तरण अन्तर्गत 90-ए करवाने के कार्य की एवज में अपनी पत्नि श्रीमती विमला मीणा, पटवारी जेडीए जोन-1 व जेडीए के अधिकारियों से मिलीभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान स्वयं के लिए के लिए एवं जेडीए के अधिकारियों के लिए 13,20,000/-रूपये की मांग करने व परिवादी का वैध कार्य करवाने की एवज में उक्त रूपये जल्द देने का दबाव बनाने, (6) आरोपिया श्रीमती रूकमणी शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) जेडीए जोन-9 जयपुर द्वारा परिवादी श्री हेमन्त ओझा के 90ए भूमि रूपान्तरण की फाईल चलाने व रिपोर्ट करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वती राशि 01 लाख रूपये स्वयं के 50,000 रूपये व पटवारी श्रीराम शर्मा के नाम से 50,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर वक्त मांग सत्यापन 10,000/- रूपये रिश्वती प्राप्त करना व जेडीए के अन्य अधिकारियो से कार्य करवाने का आश्वसान देकर उनको रिश्वती राशि देने के लिए परिवादी पर दबाव पर बनाना, रविकांत गिरदावर को रिश्वत देने के लिए दबाव बनाना तथा स्वयं द्वारा शेष रिश्वती राशि 90,000/- रूपये देने के लिए रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दबाव बनाने तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 23.08.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी से 20,000/- रूपये स्वयं के लिए प्राप्त करने एवं (7) आरोपिया श्रीमती विमला मीणा तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक(गिरदावर) जेडीए जोन-1 जयपुर द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ में परिवादी के वैध कार्य करने की एवज में जेडीए के अधिकारियो से मिलिभगत कर उनके लिए रिश्वती राशि देने के लिए उत्प्रेरित करना, 90ए की भूमि रूपातन्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही करवाने के लिए लाईजनर रखने व लाईजनर के लिए जेडीए के अधिकारियो के 13,20,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग करना व अपने पति श्री महेशचन्द मीणा परिवादी श्री हेमन्त ओझा से लाईजनर के रूप में परिचित करवाकर उसके मार्फत परिवादी से रिश्वती राशि के रूप में 13,20,000/-रूपये मांग करने का कृत्य किया गया, इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस के तहत कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण (1) श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री रेवड़मल गुप्ता, उम्र-55 साल, निवासी- 191, श्याम मन्दिर के पास, नई मण्डी रोड, दौसा हाल नायब तहसीलदार कार्यभार तहसीलदार जेडीए जोन-9 जयपुर, (2) श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री मोहन सिंह मीणा, उम्र-42 साल, निवासी- गांव नंगला बंद पोस्ट माढोनी, तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी प्लॉट नं0-408, द्वितीय-फ्लोर शांति नगर, दुर्गापुरा जयपुर हाल जेईएन जेडीए जोन-9 जयपुर, (3) श्री रविकान्त शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा, उम्र-41 साल, निवासी-के-602, गोल्डन डोम्स, रेल्वे क्रोसिंग के पास, जगतपुरा, जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए ज़ोन-9 जयपुर, (4) श्रीराम शर्मा पुत्र श्री भजन सहाय शर्मा, उम्र-56 साल, निवासी-डी-66, परमहंस कॉलोनी, 80 फीट रोड, पुलिस थाना-मुरलीपुरा, जयपुर हाल पटवारी जेडीए जोन-9 जयपुर (5) श्री महेशचन्द मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा, उम्र-40 साल, निवासी-प्लॉट नं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, चतरपुरा, दांतली, जयपुर, प्राईवेट व्यक्ति, (6) श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा पत्नि श्री संतोष शर्मा, उम्र-38 साल, निवासी पी-21-ए, केशव गार्डन कॉलोनी, जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-9 जयपुर एवं (7) श्रीमती विमला मीणा पत्नि श्री महेश चन्द मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-मनं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, चतरपुरा, पोस्ट दांतली हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-1 जयपुर के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7 व 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (हिमांशु) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री

हिमांशु,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 व 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 में आरोपीगण (1) श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता पुत्र श्री रेवड़मल गुप्ता, उम्र-55 साल, निवासी-191, श्याम मन्दिर के पास, नई मण्डी रोड, दौसा हाल नायब तहसीलदार कार्यभार तहसीलदार जेडीए जोन-9 जयपुर, (2) श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री मोहन सिंह मीणा, उम्र-42 साल, निवासी- गांव नंगला बंद पोस्ट माढोनी, तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी प्लॉट नं0-408, द्वितीय-फ्लोर शांति नगर, दुर्गापुरा जयपुर हाल जेईएन जेडीए जोन-9 जयपुर, (3) श्री रविकान्त शर्मा पुत्र श्री दीनदयाल शर्मा, उम्र-41 साल, निवासी-के-602, गोल्डन डोम्स, रेल्वे क्रोसिंग के पास, जगतपुरा, जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-9 जयपुर, (4) श्रीराम शर्मा पुत्र श्री भजन सहाय शर्मा, उम्र-56 साल, निवासी-डी-66, परमहंस कॉलोनी, 80 फीट रोड, पुलिस थाना-मुरलीपुरा, जयपुर हाल पटवारी जेडीए जोन-9 जयपुर (5) श्री महेशचन्द मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा, उम्र-40 साल, निवासी-प्लॉट नं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, चतरपुरा, दांतली, जयपुर, प्राईवेट व्यक्ति, (6) श्रीमती रूकमणी कुमारी शर्मा पत्नि श्री संतोष शर्मा, उम्र-38 साल, निवासी पी-21-ए, केशव गार्डन कॉलोनी, जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-9 जयपुर एवं (7) श्रीमती विमला मीणा पत्नि श्री महेश चन्द मीणा, उम्र-37 साल, निवासी-मनं0-05, गोविन्द विहार, खातीपुरा रेल्वे-स्टेशन के पीछे, चतरपुरा, पोस्ट दांतली हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जेडीए जोन-1 जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री बलराम सिंह मीना, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 384 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 960-68 दिनांक 26.08.2024 प्रतिलिपिः. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर। 2 निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 3 निदेशक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4 जिला कलक्टर, भीलवाडा। 5 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर। 6 जिला कलक्टर, प्रतापगढ। 7 जिला कलक्टर, जयपुर। 8 उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** BALRAM SINGH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

**Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1969 | | | | |
| 2 | Male | 1982 | | | | |
| 3 | Male | 1983 | | | | |
| 4 | Male | 1968 | | | | |
| 5 | Male | 1984 | | | | |
| 6 | Female | 1986 | | | | |
| 7 | Male | 1987 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (श्वेत रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गुदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)**